

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no-01372-252175

पत्रांक 85 / 12-1, गोपेश्वर,

दिनांक

05/07

2021।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,

वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

द्वारा:-

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड,

विषय:-

मा० मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बगोली-जेटा-कोटी-गवालखेत-पैखोली मोटर मार्ग का बेनीताल तक विस्तारीकरण में लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार की पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/१३५/२०२०/एफ०सी०/२४७२ दिनांक १७.०३.२०२१.

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में पायी गयी कमियों का निराकरण अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग ने अपने पत्र सं० १०५३/१०एल०ए० दिनांक २५.०६.२०२१ से निम्नानुसार इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है:-

क्र.सं.	प्रस्ताव में कतिपय कमियां	निराकरण
1.	राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह अपने स्तर पर प्रस्ताव की जांच कर पूर्ण उत्तर प्रस्तुत करे।	उक्त वन भूमि प्रस्ताव की जांच कर ली गयी है, वर्तमान में प्रस्तावित मोटर मार्ग बगोली कोटी के विस्तारीकरण(निर्माणधीन) से प्रारम्भ होता है, जो कि सिमली-बेनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण होने पर किमी० ५.०० पर विलय होगा। जबकि सिमली बेनीताल मोटर मार्ग का जंगलचट्टी तक विस्तारीकरण का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग, द्वारा पोर्टल पर ऑन लाईन किया जा चुका है। जिसका ऑनलाईन प्रोजेक्ट नं० FP/Road/39410/2019 है। उक्त मोटर मार्ग के निर्माण से जनमानस/क्षेत्रवासियों को कुमांऊ मण्डल से अपने व्यवसाय के आदान प्रदान करने में सुविधा होगी तथा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण हेतु कम दूरी तय करनी पड़ेगी।
2.	राज्य सरकार पूर्व से निर्मित मार्ग तथा प्रस्तावित को के०एम०एल० फाईल पर अलग-अलग रंगों से अंकित कर प्रस्तुत करे।	लोक निर्माण विभाग द्वारा आनलाईन पोर्टल में पूर्व निर्मित मार्ग तथा प्रस्तावित मार्ग को के०एम०एल० फाईल पर अलग-अलग रंगों से अंकित कर दिया गया है।
3.	इसके अतिरिक्त राज्य सरकार पूर्व में निर्मित मार्ग में एफ०सी० एक्ट, १९८० के तहत जारी अनुमोदन का पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत करे।	पूर्व निर्मित मार्ग बगोली-कोटी के निर्माण हेतु भारत सरकार एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं० ०८बी/यू०सी०पी०/०६/१०९/२०१६/एफ०सी०/१२२ दिनांक १९.०५.२०२० द्वारा ६.०० किमी० मार्ग के निर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर

पत्रांक:-

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

(आशुतोष सिंह)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर



प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244204

Email- ceepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 1053 / 10 अक्टूबर 20
सेवा में,

दिनांक 25/06/2021

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर।

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र
कर्णप्रयाग में बगोली-जेंटा-कोटी-ग्वालखेत-पेंखोली मोटर मार्ग का
बेनीताल तक विस्तारीकरण में लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/135/2020/एफ.सी./2472 दिनांक
17.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित EDS के अनुपालन में लगायी गयी आपत्तियों का
निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है:-

1	राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह अपने स्तर पर प्रस्ताव की जांच कर पूर्ण उत्तर प्रस्तुत करें।	उक्त वनभूमि प्रस्ताव की जांच कर ली गयी है जिसमें प्रस्तावित मोटर मार्ग बगोली-कोटी के विस्तारीकरण (निर्माणाधीन) से प्रारम्भ होता है जो कि सिमली-बेनीताल मोटर मार्ग का जंगलघट्टी तक विस्तारीकरण होने पर किमी. 5.00 पर विलय होगा। जिससे भविष्य में क्षेत्रवासियों को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण हेतु कम दूरी तय करनी पड़ेगी।
2	राज्य सरकार पूर्व से निर्मित मार्ग तथा प्रस्तावित मार्ग को के0एम0एल0 फाईल पर अलग-अलग रंगों से अंकित कर प्रस्तुत करें।	पूर्व निर्मित मार्ग तथा प्रस्तावित मार्ग को के0एम0एल0 फाईल पर अलग-अलग रंगों से अंकित कर दिया गया है।
3	इसके अतिरिक्त राज्य सरकार पूर्व में निर्मित मार्ग में एफ0सी0 एक्ट, 1980 के तहत जारी अनुमोदन का पूर्ण विवरण भी प्रस्तुत करें।	पूर्व निर्मित मार्ग बगोली-कोटी के निर्माण हेतु भारत सरकार एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/109/2016/एफ.सी./122 दिनांक 19.05.2020 द्वारा 6.00 किमी. मार्ग के निर्माण हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हुई है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

25.06.2021
अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग